

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)  
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 04-ए/2018

संस्थापन दि.06.01.2018

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए./31/2018

1. श्रीमती ललिता पति गोकुलसिंह राय, उम्र 62 वर्ष,
2. श्रीमती सावित्री पति श्री राधेश्याम, उम्र 57 वर्ष,  
दोनों निवासी वार्ड नं. 31 सरेखा बालाघाट तह. व  
जिला-बालाघाट(म0प्र0).....आवेदकगण/वादीगण

// विरुद्ध //

1. नंदलाल उर्फ गुड्डू पिता स्व. पदमलाल दमाहे, उम्र 50 साल,
2. श्रीमती अनीता पति श्री नंदलाल दमाहे, उम्र 45 वर्ष,
3. श्रीमती खेलनबाई पति खन्नालाल उर्फ बाबा, उम्र 60 वर्ष,
3. खन्नालाल उर्फ बाबा पिता स्व. नेतलाल दमाहे, उम्र 65 वर्ष,  
सभी निवासी वार्ड नं. 31 सरेखा शिवमंदिर के पास बालाघाट,  
तहसील व जिला बालाघाट.....अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1. आवेदकगण/वादीगण द्वारा श्री एम.पी.राव अधिवक्ता।
2. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण द्वारा श्री पी. बोरीकर अधिवक्ता।

// आदेश //

{ आज दिनांक 31.03.2018 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण/वादीगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/वादीगण के द्वारा बजरिये पंजीयत विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1991 को श्रीमती हमीदा बी व अन्य से तत्कालीन सरेखा प.ह.नं. 13/1 तह. व जिला बालाघाट में ख.नं. 136/2घ, 136/2ज, 136/5 की रकबा 0.5-3/4 डिसमिल/0.335 हे. भूमि जिस पर मकान स्थित था, खरीद कर मालकी व कब्जा हासिल किया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण ने संपत्ति पर राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करवाया। आवेदकगण/वादीगण द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उत्तर में 12 फुट की सड़क, पूर्व में तुलसीराम नगपुरे का मकान और सड़क तथा दक्षिण में त्रिवेदी का गोदाम स्थित है, जो सरेखा चौक से बघोली ग्राम जाने का आम रास्ता है, आवेदकगण/वादीगण महिला होने के कारण संपत्ति की देखभाल उसके पति श्री गोकुलसिंह राय एवं राधेश्याम राय ही किया करते रहे हैं तथा आवेदकगण/वादीगण का हित इन व्यक्तियों के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। आवेदकगण/वादीगण द्वारा इन व्यक्तियों के पक्ष में वाद में की जाने वाली कार्यवाही हेतु मुख्तयार नियुक्त किया गया है। इस 12 फुट की सड़क के उत्तर की ओर दमाहे परिवार की भूमि है जिसमें संबंधित परिवार रहवास करते चला आ

रहा है, आवेदकगण/वादीगण का पूर्व की ओर से जाने वाली आम सड़क पर जाने का निस्तार आवेदकगण/वादीगण की संपत्ति की उत्तर दिशा की ओर 12 फुट की सड़क से होकर चला आ रहा है। आवेदकगण/वादीगण के संपत्ति खरीदने के बाद से लगातार आवेदकगण/वादीगण उत्तर की ओर बने रास्ते से आना जाना व अन्य निस्तार करते रहे, इस तरह किरायेदार एवं पश्चिम की ओर के किरायेदार रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे हैं।

**3.** आवेदकगण/वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है कि यह कि अंदाजन एक डेढ़ साल से अनावेदकगण/प्रतिवादीगणों ने आवेदकगण/वादीगण के घर के निकासी दरवाजे के पास जानवर बांधना शुरू कर दिया तथा मना करने पर झगड़े पर उतारू हो जाया करते थे, रास्ते पर इस तरह अनुत्रास कारित करते हैं। अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 ने इस बीच यह कहना शुरू कर दिया कि उनके रहवास के दक्षिण की ओर जो सड़क दर्शाई गई है वह दमाहे परिवार की है तथा वे इस सड़क को बंद कर देंगे, यह रास्ता न केवल आवेदकगण/वादीगण वरन् खुशीद बेगम के प्लॉट की ओर से बढ़ता हुआ आगे जाता है परंतु अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने यह कहा कि अनावेदकगण/प्रतिवादीगण विक्रय पत्र से बाधित नहीं है तथा अनावेदकगण/प्रतिवादीगण रास्ता रोक देंगे। अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदकगण/वादीगण के दरवाजे के सामने जानवर बांधकर सड़क पर अवरोध कारित किया गया है, वर्ष 1991 से लगातार आवेदकगण/वादीगण के परिवार के द्वारा उपभोग में लाई जाती रही है। अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के द्वारा सरेखा-बघोली की ओर दीवाल उठाकर रास्ता अवरोध करने की धमकी दी जा रही है जिसके कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इन परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा जानवर बांधना, कचरा फेंकना एवं दीवाल बनाकर रास्ता रोकने की संभावना होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अनावेदकगण/प्रतिवादीगण को निषेधित करना परिस्थिति संगत होगा।

**4.** अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया है कि आवेदकगण/वादीगण जिस 12 फुट की सड़क का भू-भाग न होकर पूर्व में पैट्रिक मकान जिसे हवेली के नाम से पुकारा जाता है उसमें अनावेदकगण/प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज का रहवासी मकान हवेली के अंदर बने थे तथा उसमें निवास करते थे व मकान हवेली के सामने का आंगन था जो आंगन की सीमा समाप्त होते ही पूर्व में पंचायत थी उनके द्वारा निर्माण की गई पक्की सड़क बनाई गई थी, उसका उपयोग अनावेदकगण/प्रतिवादीगण अपने घर हवेली में बने मकान से आंगन में आते थे उसके बाद सड़क में आकर जिस तरफ आना जाना हो उक्त सड़क का उपयोग करते थे। सड़क का उपयोग हवेली में बने मकान में व आज उसमें रहने वाले व्यक्ति अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के अलावा अन्य व्यक्ति या आवेदकगण/वादीगण ने नहीं किया और न उन्हें उक्त 12 फुट की गली कहने का हक है और न उसका उपयोग आवागमन करने का अधिकार ही उपलब्ध था नहीं किया। आवेदकगण/वादीगण ने बाउण्ड्रीवाल बनाकर सीमा बंद कर दी है तथा आंगन की सीमा से लगकर आवेदकगण/वादीगण ने एक बाउण्ड्रीवाल पर गेट बनाया है जिसके बारे में आपत्ति उठाई गई थी तो आवेदक व उसके परिवार ने कहा कि आपने आंगन पर से अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के परिवार से किसी तरह की बातचीत करनी हो, उठना बैठना करना हो इस कारण यह दरवाजा लगाया जा रहा है। इस दरवाजे का आज तक रोजाना वादीगण के आंगन में प्रवेश

कर रास्ते के रूप में आवेदकगण/वादीगण ने नहीं किया।

**5.** अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने आगे यह अभिवचन भी किया है कि वादीगण के मकान से दक्षिण की ओर त्रिवेदी गोदाम की सड़क में निकलने का रास्ता पूर्व से है जो रास्ता वादीगण के मकान के दक्षिण दिशा में बड़गू, नाहनबाई, लीलाबाई एवं धरम के मकान से पूर्व की ओर नगरपालिका सड़क में निकलता है। आवेदकगण/वादीगण ने पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले इस रास्ते में अपना लेट्रिन, बाथरूम बना लिया है और इसी लेट्रिन बाथरूम के पश्चिम दिशा में त्रिवेदी गोदाम की सड़क की तरफ जाने का रास्ता है जिससे आवेदकगण/वादीगण खरीदी दिनांक से विक्रेता के मकान से जो पुराना रास्ता था उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चला आ रहा है। आवेदकगण/वादीगण ने हमीदा बी की वादग्रस्त भूमि व मकान खरीदा था जिसमें दक्षिण की ओर खुला आंगन बताया गया है। इसी आंगन से दक्षिण की ओर त्रिवेदी गोदाम से होते हुए सरेखा बाईपास रोड से निकलते हैं, इस रोड का आवेदकगण/वादीगण उपयोग करते आ रहे हैं। आवेदकगण/वादीगण ने जो विक्रय पत्र दिनांक 12.11.1991 प्रस्तुत किया है, उस विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रं. 2 पर विक्रय शुदा मकान की चतुरसीमा पहले लिखी गई है काटकर बिना विक्रेता की सहमति के पृष्ठ क्रमांक 3 में मकान की चतुरसीमा में उत्तर में 12 फुट की सड़क लिखी गई वह बिना विक्रेता की जानकारी के विक्रय पत्र पर तहरीर करा लिया, क्योंकि विक्रेता अनपढ़ महिला है जो अंगूठा लगाती व पढ़ना नहीं चाहती। जिस बिक्री पत्र का जिक्र वादीगण ने इस दावे में किया है वह खसरे की जमीन प्रतिवादीगण एवं उसके परिवार जिस दमाहे परिवार की कहीं गयी है इस परिवार के किसी भी सदस्य ने श्रीमती हमीदाबाई जौजे अब्दुल्ल खां को बिक्री नहीं की है इस कारण इस भूमि से इन प्रतिवादीगण/अनावेदकगण को कोई सरोकार नहीं है यदि उसने बिक्री पत्र में कोई कथन किये हैं तो बिक्री पत्र में लिखी इबारत इन अनावेदकगण/प्रतिवादीगण पर बंधकारक नहीं है। आवेदकगण/वादीगण ने अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक उन्हें तंग करने के उद्देश्य से यह वाद पेश किया है। आवेदकगण/वादीगण अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

**6.** विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

### सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

**7.** सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदकगण/वादीगण ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा दिनांक 22.11.1991 को श्रीमती हमीदाबी से भूमि क्रय की थी, जिस पर मकान स्थित था, वह उक्त मकान के स्वामी हैं, उक्त मकान के उत्तर में 12 फीट की सड़क, पूर्व में तुलसीराम नगपुरे का मकान और सड़क तथा दक्षिण में त्रिवेदी का गोदाम स्थित है, उत्तर की 12 फुट की सड़क के उत्तर की ओर अनावेदकगण/प्रतिवादीगण की भूमि है जिस पर उनका मकान बना है, उक्त



वादग्रस्त 12 फीट सड़क का उपयोग वह और उनके किरायेदार 1991 से करते चले आ रहे हैं, किंतु अनावेदकगण/प्रतिवादीगण उस पर अपने जानवर बांधकर कचरा आदि फेंक रहे हैं और उक्त रास्ते को रोके जाने हेतु प्रयासरत हैं, जबकि इनके विक्रय पत्र में उक्त रास्ते का उल्लेख है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में होने के कारण प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त रास्ता बंद किये न किये जाने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

8. इस संबंध में अनावेदकगण/प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि उनकी भूमि के सामने जिसे वादग्रस्त सड़क बताया जा रहा है वह उनके स्वामित्व की भूमि है, आवेदकगण/वादीगण का रास्ता आवेदकगण/वादीगण के मकान के दक्षिण की ओर त्रिवेदी गोदाम की सड़क से है और आवेदकगण/वादीगण के द्वारा इसी रास्ते का उपयोग किया जाता है। आवेदकगण/वादीगण को कोई वादग्रस्त रास्ता उनके मकान के सामने न होने के कारण आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

9. आवेदकगण/वादीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का और यशपाल जोशी का, तथा अनावेदकगण/प्रतिवादीगण की ओर से धरमपाल भोण्डे, शुल्काबाई सेन्दरे, तुलसीराम नगपुरे के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं। उक्त परस्पर खण्डकारी शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आवेदकगण/वादीगण की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1991 के विक्रय पत्र की प्रति तथा वर्ष 2012-13 के खसरे, भू-अधिकार ऋणपुस्तिका व नगरनिरीक्षक कोतवाली को दिये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। अनावेदकगण/प्रतिवादीगण की ओर से उनके द्वारा कय की गई भूमि का विक्रय पत्र 30.08.1980 के विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि वादी की ओर से जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी चतुर्सीमा को काटकर नई चतुर्सीमा लिखी गई है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है। वादी की ओर से जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसकी चतुर्सीमा में उत्तर में 12 फीट की सड़क होने का उल्लेख है, वादी ने अनावेदकगण/प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त सड़क को बंद किये जाने के कारण यह दावा प्रस्तुत किया है, जो कि अनावेदकगण/प्रतिवादीगण ने उक्त सड़क होने से इंकार किया है, मौके पर सड़क है या नहीं और उसका उपयोग आवेदकगण/वादीगण के द्वारा किया जाता है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है, उभय पक्ष की साक्ष्य आने के उपरांत ही गुण-दोषों पर इस प्रश्न का निराकरण किया जा सकेगा।

11. वर्तमान में यह तथ्य अभिलेख पर है कि वादी के विक्रय पत्र में उत्तर दिशा में 12 फीट सड़क का उल्लेख है, अतः प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में दिखाई देता है, यदि उक्त सड़क को बंद कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आवेदकगण/वादीगण को अत्यधिक असुविधा और क्षति होने की संभावना है, एवं उक्त भूमि को प्रतिवादीगण ने अपनी होना बताते हुए जानवर बांधना स्वीकार किया है। अतः उक्त भूमि पर जानवर बांधने और गंदगी होने व कचरा फेंकने से वादीगण व अन्य रहवासीगण को स्वास्थ्य संबंधी क्षति होने की भी संभावना है। अतः सुविधा का संतुलन और अपूर्ण क्षति का सिद्धांत भी आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में दिखाई देता है।

12. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदकगण/वादीगण के पक्ष में होने से आवेदकगण/वादीगण का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत होने से **स्वीकार** किया जाता है।

13. प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उक्त रास्ते में अपने पशु/जानवर नहीं बांधेंगे तथा उक्त रास्ते पर स्वयं तथा किसी अन्य के द्वारा गंदगी नहीं फैलाएंगे, तथा दीवार बनाकर रास्ता बंद नहीं करेंगे।

14. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

(अपर्णा आर.शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)

(अपर्णा आर. शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
बालाघाट (म.प्र.)